समाहरणालय, मधेपुरा

(आपदा प्रबंधन शाखा)

-: आदेश :-

सरकार के विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 71/आ०प्र०, दिनांक- 19.12.2015 के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2014 -15 में राज्य योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत , उप मुख्य शीर्ष -02 - बाढ़ चकावात आदि , लघु शीर्ष -001- निदेशन एवं प्रशासान , मांग संख्या -39 उपशीर्ष -0101 - बाढ़ प्रवण जिलों में व्यवस्था विपत्र कोड - पी -2245020010101, राज्य योजना स्कीम कोड - DIS-5561 विषय शीर्ष - 21 01 सामग्रियाँ एवं पूर्तियाँ मद में मो0- 60,000/- **(साठ हजार)**रू0 मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है। यह आवंटन निम्नांकित शर्तो के अधीन निम्न विवरणी के अनुसार नामित कार्यालय / पदाधिकारी को आवंटित किया जाता है :-

क्र.	उपावंटन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल उपआबंटित राशि
01	जिला नजारत उपसमाहर्ता , मधेपुरा	2,00,000/-	60,000/-	2,60,000/-

(मो0 साठ हजार रूपये मात्र)

उपावंटन की शर्ते :-

1. यह आवंटन महाजाल टेन्ट एवं इन्फलेटेबल मोटरबोटों के सुरक्षित संधारण हेतु प्रति जिला कम से कम 20-20 अद्द बड़ा बक्सा क्रय करने हेतु विभागीय निदेश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है । क्रय वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
2. इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में मुख्य बजट शीर्ष 2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत , उप मुख्य शीर्ष -02 - बाढ़ चकावात आदि , लघु शीर्ष -001- निदेशन एवं प्रशासान , मांग संख्या -39 उपशीर्ष -0101 - बाढ़ प्रवण जिलों में व्यवस्था विपत्र कोड - पी -2245020010101, राज्य योजना स्कीम कोड - DIS-5561 विषय शीर्ष - 21 01 सामग्रियाँ एवं पूर्तियाँ मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
3. उपरोक्त आवंटन वित्त विभागीय पत्रांक 2561वि0(2)दिनांक 17-04-1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है ।
4. संगत वित्तीय प्रावधानों के अन्तर्गत उपांटित राशि का नियमानुसार व्यय एवं समायोजन करना संबंधित उपावंटन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेबारी होगी ।

5. उपआवंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का बिचलन नहीं किया जाय, अन्यथा इस के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं जिम्मेवार होगें। उपआवंटित राशि की निकासी यथा संभव Vouched विपत्र पर ही कोषागार से किया जाय । किसी भी परिस्थति में राशि की निकासी ए0सी0 विपत्र पर नहीं की जाय।

6. उपावंटित राशि की निकासी संबंधित विपत्र पर स्पष्ट रूप से मुख्य शीर्ष / उप मुख्य शीर्ष /लघु शीर्ष तथा विपत्र कोड का अंकन करना सुनिश्चित कियाा जाय अन्यथा उक्त त्रुटिपूर्ण आंकड़े के वर्गीकरण के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं जिम्मेबार होंगे ।

7. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 15.03.15 तक निश्चित रूप से कर दिया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेबार होंगे । राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाए ।

ह०/-
जिला पदाधिकारी ,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 34 दिनांक 11.2.15

प्रतिलिपि : – जिला नजारत उप समाहर्ता , मधेपुरा, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : – कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, कोशी प्रमंडल सहरसा / विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन , बिभाग , बिहार , पटना को सादर सूचनार्थ ।

ह० 07/02/15

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।